संख्या- 2605/14-2-2017-800(174)/2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 07 फरवरी , 2018

विषय- मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा श्री राधारानी मंदिर हेतु रोप वे स्थापित करने हेतु बरसाना वन ब्लाक के खसरा सं0 126 की 0.9 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 25 वृक्षों के पातन की अनुमति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या' 1242/11सी-मथुरा, दिनांक 02 नवम्बर 2017 के साथ संलग्न भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 23-01-2015 व विधिवत स्वीकृति दिनांक 02-9-2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मथुरा -वृंदावन विकास पाधिकरण द्वारा श्री राधारानी मंदिर हेतु रोप-वे स्थापित करने हेतु बरसाना वन ब्लाक के खसरा सं0 126 की 0.9 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 25 वृक्षों के पातन की अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा प्रदत्त शर्तो/प्रतिबंधों तथा राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन विज्ञप्ति (Notification) का आदेश निम्नवत प्रदान किया जाता है:-

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस गुने अर्थात 250 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव किया जायेगा। यह वृक्षारोपण विधिवत स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(3) अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(4) परियोजना के निर्माण् व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(5) प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट़टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(7) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की आयेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(8) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(9) प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0, निर्देशांक, बैकवर्ड और फारवर्ड बियरिंग एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(10) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयांकित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय से जो स्वीकृति प्राप्त की गयी है,उसका पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पूर्णरूपेण पालन किया जायेगा।

(12) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति का निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है

(13) प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल के बराबर प्रीमिएम एवं प्रीमिएम का 10प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लेकर पट्टाधारक का वन भूमि का कब्जा दिया जायेगा

(14) पट्टाधारक द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुये एक पट्टाविलेख का आलेख्य प्रस्तुत जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टाविलेख के विधीक्षण हेतु न्याय कन्वेसिंग कोष्ठक के शासनादेश संख्या- 198/7जीसी-90-3-89, दिनांक क19-6-1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01- न्याय प्रशासन-501 सेवायें और फीस-01 की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी

(15) प्रश्नगत आरक्षित वन भूमि प्रथम बार 25 वर्षो के लीज पर दी जायेगी,जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत नवीनीकरण के पश्चात पुन: समय-समय पर बढ़ाया जायेगा।

(16) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)

shasanadesh.up.nic.in

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(17) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(18) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी

(19) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(20) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ताज ट्रेपेजियम (टी0टी0जेड0) की अनापत्ति प्राप्त किया जायेगा।

(21) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है

(22) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है

(23) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा

(24) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7-103/दस-2018,दिनांक 01-2-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 2605(1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लोधी रोड, नई दिल्ली/क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज लखनऊ।
2- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
3- जिलाधिकारी, मथुरा।
4- प्रबंध निदेशक उ0प्र0वन निगम लखनऊ।
5- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा
6- निजी सचिव प्रमुख सचिव वन एवं वन्यजीव विभाग उ0प्र0शासन।
7- सचिव, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव।

shasanadesh.up.nic.in